OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 2652
Dated 7/5/12

101

Zone - C

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना –2021 की समीक्षा
Master Plan Review–2021

Suggestion copy was directly handed over to moderator

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

"ओपन हाउस मीट्स"
"OPEN HOUSE MEETS"

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए Form to be filled by Participant	
नाम Name	Trilochan Singh, Kawaljeet Singh
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	Association. Jankit Kalyan Samiti. ~~Presi~~
वर्तमान स्थिति Present Position	PRESIDENT
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	2152 OUTRAM LINES, GTB NAGAR 9313286026
फैक्स : Fax :	
ई–मेल E-mail	Kawaljeets@yahoo.com
पता : Address :	
हस्ताक्षर : Signature :	[signature]
तिथि : Date :	30 April 2012

"अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं
"Submit your registration form at the venue of Open House meets."

JANHIT KALYAN SAMITI (REGD.)

2152 , OUTRAM LINES , G.T.B. NAGAR , DEHI – 11 00 09

(Reg. No. S – 29921)

Triochan Singh
President
93132 86026

Gurdeep Singh
Gen. Secretary
98113 75041

No. : ....

Zone-C — Civil Line Zone

सेवा में,

निदेशक (योजना),
डी.डी.ए., ज़ोन (सी.)
तीसरा तल, विकास मीनार,
नई दिल्ली

विषय:(1) दो प्लाटों (जोड़ों) Amalgation के नक्शों की स्वीकृति और निर्माण के सम्बन्ध में मास्टर प्लान में संशोधन हेतु।

(2) अतिरिक्त एवं अवैध निर्माण में यथास्थिति की जो 22 सितम्बर 2006 की कट-ऑफ डेट वर्तमान दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के प्रावधान में दी गयी है, उसे 15 दिसम्बर, 2011 तक बढ़ाया जाए।

(3) औट्रम लाईन किंग्जवे कैम्प की झुग्गी-झोंपड़ी हटाने के लिए।

श्रीमान् जी,

1. ऊपरलिखित विषयों के संदर्भ में हम सब Rehabilitation Colony, किंग्जवे कैम्प re-development scheme निवासी जोकि 1947 में पाकिस्तान से आए विस्थापितों (Refugee) को Temporary Quarter टीन शेड डालकर रहने के लिए दिए गए थे जो बाद में demolish करके 1984 में एरिया को Re-develop करके 80 Sq.Yds. & 160 Sq.Yds. के प्लाट दिये गये। अब उनके परिवार 65 वर्ष बाद जो पहले बच्चे थे उन बच्चों के बच्चे फिर बच्चों के बच्चे ऐसे तीन पीढ़ियाँ हो गई है और परिवारों में बढ़ोत्तरी हुई है इस कारण उनको ज्यादा जगह की जरूरत हैं ताकि Joint Family का गुजारा हो सके और Joint Family को दूसरा प्लाट साथ में लेकर अगर जोड़ा प्लाट पर मकान बनाना चाहते है तो उनको इसकी अनुमति देनी चाहिए। 25 वर्ग मी. से 175 वर्ग मी. तक के प्लाटों को जोड़ा बनाकर मकान बनाने की अनुमति दी जाए और जो इस तरह के जोड़े के मकान बन गए है उनसे nominal charges लेकर Regularize किया जाए।

JANHIT KALYAN SAMITI (REGD.)

2152 , OUTRAM LINES , G.T.B. NAGAR , DEHI – 11 00 09

(Reg. No. S – 29921)

Triochan Singh
President
93132 86026

Gurdeep Singh
Gen. Secretary
98113 75041

No. : ....

पहले दिल्ली नगर निगम के भवन निर्माण विभाग द्वारा दो प्लाटों (जोड़ों) के नक्शे स्वीकृत किए जा रहे थे लेकिन अब बंद कर दिए है जिसके कारण जिन लोगों ने जोड़ों के नक्शे स्वीकृत करने के फायदे में प्लाट खरीद लिए है लेकिन अब जोड़ों के नक्शे स्वीकृत नहीं होने के कारण उनका जोड़े में मकान बनाने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है जबकि मास्टर प्लान-2021 के पैरा 3.3.2 पुर्नविकास योजना की गाईड लाईन के क्रमांक 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जोड़ों के नक्शे स्वीकृति किए जाएंगे।

2. तारीख 23 दिसम्बर 2011 को दिल्ली नगर निगम की विशेष बैठक में निगम द्वारा इस मास्टर प्लान में संशोधन के लिए भेजी जाने वाले सुझाव के लिए निगम स्थायी समिति की विशेष बैठक में पक्ष व विपक्ष के पार्षदों ने अपने-अपने सुझाव प्रस्तावित समिति में पेश किए। समिति अध्यक्ष ने सर्वसम्मति से पार्षदों के सुझाव को केन्द्र सरकार के पास भेजने के लिए निगमयुक्त के.एस. मेहरा को आदेश जारी किया। बैठक में अध्यक्ष योगेन्द्र चंदोलिया व सदन के नेता सुभाष आर्य सहित भाजपा के तमाम पार्षदों ने अपना सुझाव देते हुए कहा कि मास्टर प्लान जनता को सुविधा देने के लिए होना चाहिए न कि मास्टर प्लान के लिए जनता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त एवं अवैध निर्माण के सम्बन्ध में यथास्थिति की जो 22 सितम्बर 2006 की कट-ऑफ डेट वर्तमान दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के प्रावधान में दी गयी है, उसे 15 दिसम्बर 2011 तक बढ़ाया जाए।

जैसा कि हमारे Hon'ble शहरी विकास मंत्री कमलनाथ जी ने भी कहा है कि दिल्ली का नया मास्टर प्लान यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा और यह आम आदमी के लिए भविष्य के लिहाज से फायदेमंद होगा और कहा कि सरकार राजधानी दिल्ली के लिए अगले 25 वर्ष की विकास संबंधी बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान लाएगी। आपका कहना है कि अभी तक के मास्टर प्लान में पुरानी जरूरतों को ध्यान में रखा जाता था लेकिन अब इसमें भविष्य की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा और अब

JANHIT KALYAN SAMITI (REGD.)

2152 , OUTRAM LINES , G.T.B. NAGAR , DEHI – 11 00 09

(Reg. No. S – 29921)

Triochan Singh
President
93132 86026

Gurdeep Singh
Gen. Secretary
98113 75041

No. : ....

फ्लोर एरिया रेशो (FAR) और फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर भी ध्यान दिया जाएगा।

ऊपर लिखित facts के आधार पर हम आपसे अनुरोध करते है कि जिस किसी के घर का कुछ हिस्सा अप्रूव प्लान से ज्यादा बन गया हैं या थोड़ा छज्जा बाहर निकला है, उसे कैसे नियमित किया जाए, इस पर पॉलिसी लाई जाए न कि तोड़-फोड़ करके जनता की खून-पसीने की गाढ़ी मेहनत की कमाई को बर्बाद किया जाए बल्कि एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए कि उन्हें कैसे तोड़-फोड़ से बचाया जाए और विभिन्न विभागों में पनप रहा भ्रष्टाचार समाप्त हो और आम जनता को राहत मिले जिसके लिए आम नागरिक आपका आभारी रहेगा।

धन्यवाद सहित,

Trilochan Singh

(त्रिलोचन सिंह)

अध्यक्ष, जनहित कल्याण समिति (रजि.)

(3) औट्रम लाईन, जिसके कैम्प में D.D.A के Plan में एक बड़े प्लाट पर जो कि Locality के बीचो-बीच पर पड़ता है उस पर D.D.A ने community centre, ~~Dispensary~~ Dispensary और commercial activities के लिए छोड़ रखी है उस पर झुग्गी-झोपड़ी वालो ने कब्जा कर रखा है। झुग्गी वाले सड़क पर ही मल मूत्र करते हैं जिस वजह से Locality वालों का जीना दूभर हो रखा है और बड़ा नरक बना हुआ है। कृपया इस प्लाट को खाली कराकर जिस facilities के लिए प्लाट Plan में छोड़ा हुआ है कालोनी के लोगो के लिए बनाया जाए।

Trilochan Singh